न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 48/2020

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
शिवभूसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी बेराथलकलां तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 मदनलाल 2 दुलीचंद 3 सत्यनारायण 4 मेघराज 5 श्रवणकुमार पुत्रान जसाराम जातियान ब्राह्मण 6 जैठाराम पुत्र जसाराम जाति ब्राह्मण (फौत) के कायम मुकाम– 6/1 संतोष पत्नी स्व. जेठाराम 6/2 लालाराम पुत्रान स्व. जेठाराम 6/3 संगीता पुत्री स्व जेठाराम 6/4 आशा पुत्री स्व. जेठाराम 6/5 कनिका पुत्री स्व. जेठाराम जातियान जेठाराम निवासीगण बेराथलकलां तहसील खींवसर जिला नागौर। 7 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति –
1श्री रमेश ढाका, वकील अपीलांट की ओर से।
2श्री विक्रम जोशी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 तथा 6/1 से 6/5 की ओर से।
3श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा ग्राम बेराथलकलां के बंटवाडा आदेश दिनांक 27.06.1989 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.11.2020 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 तथा 6/1 से 6/5 की ओर श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों तथा मौके के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि विरूद्व पारित किया जाना होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.1989 का जो बंटवाडा फार्म एवं उसके कॉलम 2 व 3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार एवं रेकर्ड में खातेदारी के अनुसार बन्टवाडा किया जा रहा है जबकि रेकर्ड में खातेदारी एवं कब्जा काश्त रेस्पो. के बाप दादा जसाराम विक्रय पत्र दिनांक 13.04.1979 लेख पत्र क्रम संख्या 1372 का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर है कि 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 498 रकबा 49 बीघा 2 बिस्वा में बेचान किया गया है उस हिसाब से उक्त विक्रय पत्र 24 बीघा 11 बिस्वा के खरीददार व खातेदार है जबकि रेकर्ड के विपरीत व कब्जा काश्त के विपरीत जाकर 24 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया गया इस तरह का खातेदार घोषित कर बन्टवाडा करने का अधिकार तहसीलदार नागौर को नहीं था। इसलिए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावे।

{2}(III)– विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1979 में खसरा नम्बर 498 रकबा 49 बीघा 11 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का बेचान करना अंकित कर नामान्तरकरण संख्या 191 में स्पष्ट अंकित है कि उक्त रजिस्ट्री के आधार पर जसराज को 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया गया है उसी अधार पर बन्टवाडा होना चाहिए था तथा इसी आधार पर खातेदारी में इन्द्राज करना चाहिए था। खरीदकर्ता जितनी भूमि विक्रय पत्र में खरीद की है उतनी ही भूमि बन्टवाडा में प्राप्त करने का अधिकारी है इससे अधिक की भूमि न तो वह प्राप्त कर सकता है न ही अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी तहसीलदार इससे अधिक भूमि की खातेदारी की घोषणा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)– जो बन्टवाडा फार्म हल्का पटवारी द्वारा भरा गया उसमें भी कब्जा काश्त व खातेदारी के अनुसार ही बन्टवाडा करने का उल्लेख कर कहकर के पाबूदानसिंह वगैरा से अंगुष्ठ निशानी करवायी थी क्योंकि उक्त लोग अनपढ थे मौके पर कब्जा एवं रेकर्ड में खातेदारी अनुसार ही बन्टवाडा होने का विश्वास दिलाकर अंगुठ निशानी करवा ली गई थी तथा इनको इतनी कागजी पेचिदगिया व अनपढ होने से जानकारी नहीं रही तथा विश्वास से अंगूठा निशानी कर दी गई। आज दिन मौके पर रेस्पो. का 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा काश्त है। रेकर्ड में आज दिन उनके नाम खसरा नम्बर 498/688 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा अंकित है क्योकि 5 बिस्पा भूमि रास्ता में चली गई खरीद की तारीख से लेकर आज दिन इनका मौके पर कब्जा खरीद अनुसार 24 बीघा 12 बिस्वा व रास्ता में जमीन चली जाने के पश्चात 24 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर ही है ऐसी स्थिति में रेकर्ड व कब्जा के विरूद्व किया गया अधीनस्थ न्यायालय का बन्टवाडा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– उक्त बन्टवाडा पाबूदानसिंह के अन्य सह खातेदारों के मध्य हुआ था तथा पाबूदानसिंह के एक मात्र पुत्र हरिसिंह अन्धे थे इसलिए उनको इस तरह के बन्टवाडे की कोई जानकारी नहीं रही व न ही इस तरह के कागजात वगैरा की जानकारी रखते थे। अब उक्त भूमि का विवाद होने पर एवं रेस्पो. द्वारा धमकियां देने पर एवं अपीलान्टस से कब्जा छुडाने पर आमादा होने एवं 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्राप्त करने के लिए एवं अपीलान्टस से कब्जा छुडाने के लिए आमादा व उतारू होने पर उक्त राजस्व रेकर्ड की अपीलान्ट द्वारा खतोनी नकल तत्पश्चात बन्टवाडा पत्रावली की नकल लेने व उसका अवलोकन करने व कराने पर उक्त गलत रूप से किये गये बन्टवाडा की जानकारी हुई जिस पर नकले प्राप्त कर बिना देरी के यह अपील पेश की गई।

{2}(VI)–पक्षकारन के मध्य पूर्व में गवाई बन्टवाडा हो रखा है जिसकी लिखापढी भी हुई थी जिसमें उक्त खसरा नम्बर 498 आधा हरिसिंह पुत्र पाबूदानसिंह के बन्ट में आधा हिस्सा रूपसिंह पुत्र श्री तेजसिंह के बन्ट में रखी गई थी। इसलिए रेस्पो. अपने खरीदसुदा भूमि से अधिक इस खसरे में से अपीलान्ट के हक हिस्से की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि बन्टवाडा में किसी भी कानून के तहत प्राप्त नहीं कर सकते है जो 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी ने रेस्पो. संख्या 1 से 6 के पक्ष में बिना कब्जा के एवं बिना रेकर्ड के एवं बिना खरीद के खरीद की गई भूमि से अधिक की खातेदारी घोषणा कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवेदन पत्र बन्टवाडा फार्म इत्यादि पेश किये गये तथा उसी दिन पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया इससे साफ जाहिर है कि जो मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एव भू निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट मौके की पेश करने की बात कही गई है मौके पर गये बिना ही तहसील कार्यालय में बैठे बैठे ही प्रफोर्मा कॉलम में रिपोर्ट का अंकन कर दिया गया है जबकि धारा 53 के अनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को मौके पर जाकर के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की जानी होती है ऐसी रिपोर्ट तैयार मौके पर नही करने व मौका नहीं देखने से एवं मौके पर कब्जा काश्त के विरूद्व बन्टवाडा कर देने से प्रथम दृष्टया अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)– खसरा नम्बर 498 में से 1/2 यानि 24 बीघा 11 बिस्वा के ही खातेदार है मगर बन्टवाडा करते वक्त जसराज पुत्र हुक्माराम के बन्ट में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि 25 बीघा 12 बिस्वा का अपीलाधीन आदेश में खातेदार अनुसार ही भूमि बन्टवाडा में प्राप्त करने व रखे जाने के अधिकारी थे मगर बन्टवाडा में 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि गलत रूप से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि को रेस्पो. के पक्ष मे दर्ज करने का आदेश कर दिया गया उक्त बन्टवाडा अपीलान्ट के दादा के जीवन काल के वक्त किया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी अभी वर्तमान में रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि छोडने की एलानियां धमकी गई जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकले खतोनी इत्यादि प्राप्त की व रजिस्ट्री की नकले प्राप्त की जिस पर अपीलान्ट को उक्त 1 बीघा 12 बिस्वा की अधिक खातेदारी बन्टवाडा में करवा लेने की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा बन्टवाडा पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 11.08.2020 को आवेदन किया गया जिस पर पत्रावली की नकल दिनांक 30.09.2020 को प्राप्त हुई। जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मयाद है जिस अन्दर मयाद सुमार मानी जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2020 (1) पेज 575 से 581 तथा आरआरटी 2020 (2) पेज 791 से 794 नजीरे पेश की।

आर कलक्टर, नागौर

{3} वकील रेस्पोडेन्ट 1 से 5 तथा 6/1 से 6/5 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपीलांट ने तहसीलदार खींवसर के बंटवाडा आदेश दिनांक 27.06.1989 के विरूद्व समय सीमा में अपील नहीं की गई तथा न ही समय सीमा में अपील नहीं करने का कारण बताया है जिससे यह अपील मियाद बाहर है अतः अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है। विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया गया है। विक्रय पत्र भरने के दस वर्ष बाद बंटवाडा किया गया था जो कि आपसी सहमति से किया गया था। अतः अपील खारीज की जानी चाहिए।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम बेराथलकला के बंटवाडा आदेश दिनांक 27.06.1989 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत की गई है। बंटवाडा आदेश दिनांक 27.06.1989 आपसी सहमति से किया जाना प्रतीत होता है। आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि नहीं होना प्रतीत होता है। अपील करीब 31 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 31 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं होने से तथा मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर